बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03 / भू0अ0नि0(2)आरोप(वि0सर्वे0अमीन)–बेगूसराय–11 / 2022 4822 **पटना, दिनांक**– 30/12/2022

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 824 दिनांक 26.07.2022 द्वारा सुश्री विद्या कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04431) के विरूद्ध दिनांक 25.11.2021 से लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं शिविर प्रभारी द्वारा अनुपस्थिति के संदर्भ में इनसे किए गए स्पष्टीकरण का अनुपालन समर्पित नहीं करने की सूचना के साथ–साथ सुश्री विद्या द्वारा दिनांक 06.02.2022 से अपने पद से त्याग पत्र देने संबंधी प्रतिवेदन भेजा गया है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में तथा उक्त जिले के लिए नामित नोडल पदाधिकारी से आरोपित कर्मी के ऑनलाईन उपस्थिति की जांच करायी गयी। नोडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपित माह नवम्बर, 2021 से जून, 2022 तक मात्र 06 दिन ही अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित रही हैं।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं नोडल पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 2246 दिनांक 30.08.2022 द्वारा आरोपित से उनके अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के संबंध में 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण 03 महीने की लम्बी अवधि के बाद भी समर्पित नहीं किया गया है।

आरोपित से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की कारण भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 2246 दिनांक 19.11.2022 द्वारा आरोपित के विरूद्ध संविदा नियोजन समाप्ति का प्रस्ताव स्पष्ट अनुशंसा सहित 03 दिनों के अन्दर बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा भी कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से आरोपित के विरूद्ध पूर्व प्रतिवेदित अनाधिकृत अनुपस्थिति से संबंधित सूचना एवं नोडल पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन तथा संचिका में रक्षित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि आरोपित माह नवम्बर, 2021 से जून, 2022 तक मात्र 06 कार्यदिवस पर ही अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित रहे हैं, इसके उपरांत इन्हें बंदोबस्त कार्यालय स्तर पर Blocked कर दिया गया है। आरोपित द्वारा दिनांक 06.02.2022 से अपने पद से पारिवारिक कारणों का उल्लेख करते हुए त्याग पत्र दिया गया है। इनके लगातार अनुपस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि ये कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं, अनावश्यक रूप से एक लम्बी अवधि तक अपने पद को बरकरार रखने के उपरांत त्याग पत्र दिये हैं। कर्त्तव्य से लगातार अनुपस्थित रहना उसके उपरांत त्याग पत्र देना घोर अनुशासनहीनता का द्योतक है। अतः इनका त्याग पत्र स्वीकृत किया जाना उचित नहीं है। बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण किया जाना है। इनके इस तरह के कृत्यों से सर्वेक्षण का कार्य बाधित हुआ है। कार्य के प्रति रूचि नहीं रखने तथा लगातार अनुपस्थित रहने तथा सर्वेक्षण कार्य को अनुशासित बनाए रखने के दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना उचित होगा।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम– 8(4)"** के आलोक में सुश्री विद्या कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04431) की सेवा समाप्त की जाती है।

(जय सिंह) 3/1/22
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)आरोप(वि0सर्वे0अमीन)–बेगूसराय–11 / 2022 4822 पटना, दिनांक :– 30/12/2022

प्रतिलिपि :– सुश्री विद्या कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04431), बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)आरोप(वि0सर्वे0अमीन)–बेगूसराय–11 / 2022 4822 पटना, दिनांक :– 30/12/2022

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)आरोप(वि0सर्वे0अमीन)–बेगूसराय–11 / 2022 4822 पटना, दिनांक :– 30/12/2022

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेशित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
23/12/22